प्रति,

भारसाधक अधिकारी / सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
जयरामनगर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः– सचिव वरिष्ठ के पद पर उपस्थिति प्रतिवेदन बाबत्।

संदर्भः– प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य कृषि विपणन बोर्ड अटल नगर नवा रायपुर के आदेश क/बी–1/1/विविध/176–4 जे/2024–25/6097 नवा रायपुर दिनांक 19.12.2024

—::00::—

विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के परिपालन में राज्य मण्डी बोर्ड सेवा (सचिव वरिष्ठ) के पद पर कृषि उपज मण्डी समिति जयरामनगर, जिला–बिलासपुर में नियुक्त किया गया है।

अतः आज दिनांक 21.12.2024 को अपरान्ह वरिष्ठ सचिव के पद पर उपस्थित हो गया हूं, उपस्थिति प्रतिवेदन सादर प्रेषित है।

संलग्न :– 1. नियुक्ति आदेश की छायाप्रति।
2. अनुबंध पत्र

दिनांक :– 21.12.2024

(21/12/2024)
आशीष दुबे
(सचिव वरिष्ठ)
कृषि उपज मण्डी समिति
जयरामनगर जिला–बिलासपुर(छ.ग.)

प्रतिलिपि :–

1. प्रबंध संचालक महोदय छ.ग.राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. संयुक्त संचालक छ.ग.राज्य कृषि विपणन बोर्ड बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

(21/12/2024)
आशीष दुबे
(सचिव वरिष्ठ)
कृषि उपज मण्डी समिति
जयरामनगर जिला–बिलासपुर(छ.ग.)

कार्यालय, संयुक्त संचालक छ.ग.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
संभागीय कार्यालय बिलासपुर
एच आई जी -1 डी 53, अभिलाषा परिसर, हाईटेक बस स्टेंड के पीछे, तिफरा बिलासपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
Telephone 07752 291633 E-mail : ddmbsp@gmail.com

क्रमांक / बोर्ड / कार्मिक / 52 / 2024-25 / 3483 बिलासपुर, दिनांक 18/3/25

-:: अनापत्ति प्रमाण पत्र ::-

श्री आशीष दुबे सचिव कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर जिला बिलासपुर (छ0ग0) को उनके मांग अनुसार शुध्द एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ0ग0) से अंशकालीक पी.एच.डी कोर्स 2024-25 में सम्मिलित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रत्यायोजित प्रशासनिक अधिकार के कंडिका 15 के अनुसार इस शर्त के अधीन दी जाती है कि कार्यालयीन कार्य प्रभावित न हो तथा परीक्षा की तैयारी हेतु पृथक से कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

17/3/2025
संयुक्त संचालक,
छ.ग.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
बिलासपुर (छ.ग.)

पृ0क्रमांक / बोर्ड / कार्मिक / 52 / 2024-25 / 3484 बिलासपुर, दिनांक 18/3/25
प्रतिलिपि :-

(1) श्री आशीष दुबे सचिव ,कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर जिला बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

17/3/2025
संयुक्त संचालक,
छ.ग.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
बिलासपुर (छ.ग.)

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
(नैक द्वारा "A++" ग्रेड प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
कोनी बिलासपुर 495 009 (छ0ग0)
दूरभाषा 07752-260209,

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA
(A Central University With "A++" Grade Accredited by NAAC)
KONI, BILASPUR-495 009 (C.G.)
Phone : 07752-260342 Website : www.ggu.ac.in

क्र...435/अका./शोध/भौतिकी/2024

बिलासपुर, दिनॉक.................
22 JUL 2024

प्रति,

Ashish Dubey (शोधार्थी)
शुद्ध और अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग)

विषयः– यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रकिया) विनियम, 2022 के प्रावधानानुसार पीएच0डी0 उपाधि के लिए पंजीयन।

विभागीय शोध समिति की बैठक दिनॉक 13.05.2024 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध कार्य हेतु (विषय) शुद्ध और अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग,– भौतिकी विज्ञान विद्यापीठ में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार किया जाता है:–

शोध का विषय शीर्षक		शोध निर्देशक	
STUDY OF PROPERTIES OF IRON CONTAINING SPINEL FERRITES FOR THEIR POTENTIAL APPLICATIONS		Prof. H.S. Tewari, Professor, Department of Pure and Applied Physics ,Guru Ghasidas Vishwavidyalaya Bilaspur (C.G.)	
शोध केन्द्र	पंजीयन कमॉक	पंजीयन तिथि	नामांकन कमॉक
शुद्ध और अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग (विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग) गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)	225064507	13.05.2024	GGV/22/13802

1 . आप यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रकिया) विनियम, 2023 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएच.डी. शोध कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय शोध विनियम 2023 के नियमन **R-11 के** अनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छःमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक/ RAC द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति /अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोष जनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवदेन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध–पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व 3 प्रतियों में शोध ग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

क्रमशः

2 यह पंजीयन छः वर्ष तक जीवित रहेगा तथा पंजीयन तिथि से छःवर्ष के भीतर शोधार्थी द्वारा शोध ग्रंथ जमा नहीं करने पर पंजीयन छःवर्ष उपरांत स्वतः निरस्त हो जावेगा । शोध पंजीयन अवधि मे वृद्धि विश्वविद्यालय शोध विनियम 2023 के नियमन R-04 के अधीन रहेगा।

3. शोध ग्रंथ प्रस्तुतीकरण/प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 10,000/-(परिवर्तनीय) विश्वविद्यालय कोष में चालान के द्वारा देय होगा।

4. शोध विनियम के प्रावधानानुसार शोधार्थी को निर्धारित समयावधि में शोध ग्रंथ प्रस्तुत करना होगा । छ माही प्रगति प्रतिवेदन एवं शोध ग्रंथ जमा करना शोधार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में स्मरण नहीं कराया जायेगा ।

5. शोधार्थी का पंजीयन एवं शोध कार्य विश्वविद्यालय के शोध विनियम-2023 के अधीन होगा । अत शोधार्थी को यह सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय शोध विनियम-2023 के प्रावधानों का भली-भांति अध्ययन कर लेवें ।

आदेशानुसार,

सहा. कुलसचिव(अका.)

क्रमांक 426 /अका0/शोध/भौतिकी./2024 बिलासपुर, दिनॉक 22 JUL 2024

प्रतिलिपिः-

1. शोध निर्देशक- Prof. H.S. Tewari, Professor, Department of Pure and Applied Physics गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ0ग0 को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि वे ऊपर लिखित शोध अध्यादेश/ विनियम के प्रावधानानुसार संलग्न प्रारूप में शोध छात्र का प्रत्येक सेमेस्टर छःमाही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अलग से पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
2. विभागाध्यक्ष, शुद्ध और अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
5. समन्वयक आईटी सेल, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर वेब पोर्टल पर अपलोड किए गए सूची मे शामिल करने हेतु प्रेषित ।
6. संबंधित नस्ती प्रति।

सहा. कुलसचिव(अका.)
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर(छ.ग.)